

पत्रांक : 4843/आयु0क0उत्तरा0/विधि—अनुभाग/10—11/देहरादून

कार्यालय आयुक्ता कर उत्तराखण्ड  
(विधि—अनुभाग)

देहरादून: दिनांक:23:फरवरी 2011

समस्त रिप्टी कमिश्नर(क0नि0)वाणिज्य कर  
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर,वाणिज्य कर

शासन के पत्र सं0—271/2010/टी0सी0 294/XXVII(8)/2007/दिनांक  
22.2.2011 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना सं0—557  
/2010/481(120)/XXVII(8)/2008/दिनांक—31.12.2010 में मूल नियमावली के नियम  
55(प्रतिस्थापित) के स्तम्भ—2 में प्रयुक्त शब्दावली “धारा 25 की उपधारा (8)” के स्थान  
पर “धारा 25 की उपधारा (9)” पढ़े जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । (छायाप्रति  
संलग्न)

शासन द्वारा जारी उक्त शुद्धिपत्र की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है  
कि शासन के दिशा—निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न—उक्तानुसार ।

(ए0के0गुप्ता)


एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर  
मुख्यालय,देहरादून ।

पृ0प0सं0 4843/दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1.प्रमुख सचिव,वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2.महालेखाकार,उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रानगर,देहरादून।
- 3.एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन,रूद्रपुर।
- 4.एडिशनल कमिश्नर(आडिट/प्रवर्तन)वाणिज्य कर,मुख्यालय देहरादून।
- 5.समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों /व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6.ज्वाइंट कमिश्नर(अपील)वाणिज्य कर,देहरादून/हल्द्वानी।
- 7.ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)वाणिज्य कर,हरिद्वार/रूद्रपुर।
- 8.परिष्ठा तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 9.श्री राकेश वर्मा, महासचिव उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ वाणिज्य कर कार्यालय रूड़की।

- 10.संख्या-अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 11.इन्टावैट ईन्फो प्रा0लि04, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13,आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई-400001।
- 12.नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड,गाजियाबाद।
- 13.नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
14. डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्याय0कार्य0)वाणिज्य कर,नैनीताल।
- 15.स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई-233,शास्त्री नगर,गाजियाबाद,-201002
- 16.अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 17.दी होलसेल डीलर्स एसो0 14,आढ़त बाजार देहरादून।
- 18.प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो0 222/5 गॉधी ग्राम,देहरादून।
- 19.कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 20.विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 21.शोध-अनुभाग मुख्यालय हेतु।

  
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर  
मुख्यालय,देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० /2011/181(120)/XXVII(8)/2008

देहरादून :: दिनांक: 22 फरवरी, 2011

शुद्धि पत्र

राज्यपाल, शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 557/2010/181(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 में मूल नियमावली के नियम 53(प्रतिस्थापित) के स्तम्भ-2 में प्रयुक्त शब्दावली "धारा 25 की उपधारा (8)" के स्थान पर "धारा 25 की उपधारा (9)" पढ़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(सहा सचिव)  
सचिव वित्त।

सं० 271 /2010/टी0सी0 294/XXVII(8)/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाइल हेतु/ एन0आई0सी0।

दिनांक 22-2-2011  
आवश्यक कार्यवाही करें

9998  
02210242011

अपर आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड देहरादून

आज्ञा से,  
(सी0एस0समवतार)  
अपर सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 271/2011/181(120)/XXVII(8)/2008 dated 22 February, 2010 for general information.

**Government of Uttarakhand**  
**Vitta Anubhag--8**  
**No. 271 / 2011 / 181(120) / XXVII(8) / 2008**  
**Dehradun : Dated: 22 February, 2011**

**Corrigendum**

The Governor is pleased to allow the substitution of words "sub-section (9) of Section 25" for the words "sub-section(8) of Section 25" occurring in Rule 53 (Substituted) of the Principal Rules in Government notification no. 557/2010/181(120)/XXVII(8)/ 2008 dated 31 December, 2010.

  
(Radha Raturi)  
Secretary, Finance.